न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–57 / 18 (आरसीएमएस नं. 2018 / 00078)

1. सरपंच, ग्राम पंचायत पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान नाथ पुत्र श्री छोटू नाथ,
2. भंवरलाल पुत्र श्री भृतहरिनाथ,
3. भूरानाथ पुत्र श्री छोटू नाथ,
4. श्योजीराम पुत्र श्री ग्यारसी लाल,
5. कल्याण नाथ पुत्र श्री छोटूनाथ समस्त जातियान जोगी,
6. रामकरण पुत्र श्री श्रीया उर्फ नारायण, जाति रैगर,
7. बजरंग पुत्र श्री छोटूनाथ,
8. शंकर नाथ पुत्र श्री गजानन्द, समस्त जातियान जोगी, निवासीयान ग्राम पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–207 / 18 (आरसीएमएस नं. 2018 / 00166)

1. सूरजकण गुर्जर पुत्र श्री श्योचन्दा, उम्र 45 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान नाथ पुत्र श्री छोटू नाथ,
2. भंवरलाल पुत्र श्री भृतहरिनाथ,
3. भूरानाथ पुत्र श्री छोटू नाथ,
4. श्योजीराम पुत्र श्री ग्यारसी लाल,
5. कल्याण नाथ पुत्र श्री छोटूनाथ समस्त जातियान जोगी,
6. रामकरण पुत्र श्री श्रीया उर्फ नारायण, जाति रैगर,
7. बजरंग पुत्र श्री छोटूनाथ,
8. शंकर नाथ पुत्र श्री गजानन्द, समस्त जातियान जोगी, निवासीयान ग्राम पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर, रजास्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 05.08.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर के आदेश दिनांक 15.02.2018 (प्रकरण संख्या 123 / 2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आम जनता पहाडिया जरिये प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि

P.T.O.

उपरोक्त आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के सम्बन्ध में प्रस्तुत नही किया गया तो प्रथम दृष्टया ही उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण व आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर निर्णय दिनांक 15.02.2018 पारित किया जो कि बखिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है, उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा, उससे पूर्व जैसा कि प्रार्थना पत्र वर्णित है कि उक्त प्रार्थना पत्र आम जनता पहाडिया की ओर से प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र की सुनवाई आदेश नियम 8 सी.पी.सी. के अन्तर्गत की जानी चाहिये थी तथा उक्त वाद के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तामील की जानी आवश्यक थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत हैसियत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की तरह सुनवाई कर निर्णय दिनांक 15.02. 2018 पारित किया है जो बखिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने जो जवाब प्रस्तुत किया उक्त जवाब में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि खसरा नम्बर 1965/47 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी की भूमि जिसमें गांव के व्यक्तियों के वर्षो से कब्जा होने व परिवार सहित मकान बनाकर निवास करने से ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि हेतु प्रस्ताव लेकर आबादी भूमि करवाई गई, जिस प्रकार आबादी भूमि बसी हुई थी उसी प्रकार 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की तरमीम करवाई गई, जो कि नियमानुसार व विधि अनुसार थी, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त तरमीम की गई उससे समाज के सभी जातियों के व्यक्ति आबादी भूमि पर रिहायश करते है तथा सर्वसमाज के व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो इसी गरज से आबादी भूमि का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया जिससे कि सभी समाज के व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सके तथा उन्हे आवासीय व्यवस्था प्राप्त हो सके, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आबादी भूमि विस्तार का प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत ने जो तरमीम की उसे विधि विरूद्ध मानकर निर्णय दिनांक 15.02. 2018 पारित किया जो कि बखिलाफ कानून है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 को छोड़कर सभी व्यक्ति जोगी समाज के व्यक्ति है तथा एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा सरपच ग्राम पंचायत पहाडिया से राजनैतिक द्वेषता रखते है इसलिये बिना किसी आधार के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि बिना किसी अधिकारिता के प्रस्तुत किया गया है जो कि पूर्णतया बखिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम पंचायत पहाडिया द्वारा जो तरमीम की गई उस तरमीम में ही सर्वसमाज का पुख्ता मंदिर भी बना हुआ है जिसमें चार दीवारी बनी हुई है तथा सभी समाज के व्यक्ति उक्त

मंदिर मे पूजा–अर्चना के लिये आते–जाते है तथा समाज के सभी व्यक्तियों की मंदिर मे पूर्ण आस्था है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सर्वसमाज का मंदिर उक्त तरमीम क्षेत्र में बने हुये का कथन की पूर्ण जानकारी होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.02.2018 पारित किया जो कि बखिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा यह भी आपत्ति की गई कि खसरा नम्बर 1965/47 की तरमीम एक लम्बी पट्टी के रूप में की गई है, जो भविष्य में ग्राम की आबादी के अनुरूप नही होकर अनुपयोगी हो गई है जिसके सम्बन्ध मे स्पष्ट कथन है कि दक्षिण की ओर आबादी बसी हुई है अब जिन्होने पुख्ता निमार्ण कर अपने परिवार के साथ रिहायश कर रहे है तथा मौके पर बाड़े बनाकर उपयोग–उपभोग किया जा रहा है तथा उक्त तरमीम से एक लम्बी पट्टी ना होकर बल्कि उसकी चौड़ाई का क्षेत्र 70–80 फीट हो जाता है तथा ये जगह रेनवाल से पहाड़िया रोड़ के समीप स्थित है इसलिये प्रत्यर्थीगण का यह कहना कि वह उक्त तरमीम से अनुपयोगी होने के बजाय प्रस्तुत तरमीम से उसकी उपयोगिता काफी बढ़ जाती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रत्यर्थीगण द्वारा दिये गये उस तर्क को मानकर आपेक्षित आदेश दिनांक 15.02.2018 पारित किया जो कि पूर्णरूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2018 को निरस्त किया जावें तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित तरमीम को बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के आम जनता ग्राम पहाडिया की ओर से एक प्रार्थना पत्र संख्या 123/2017 अन्तर्गत धारा 111, 128 तथा 131 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया, आम जनता पहाडिया ने अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि ग्राम पहाडिया तहसील फागी जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1965/47 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आबादी भूमि दर्ज रिकार्ड है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 1965/47 का मूल खसरा नम्बर 47 था जो काफी बड़ा था, उक्त खसरा नम्बर 47 में से समय–समय पर भूमि अलोट होती गई एवं नये नम्बर दर्ज होते रहे, इसी प्रकार मूल खसरा नम्बर 47 के अन्य खसरा नम्बर 1968/47 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1967/47 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1966/47 रकबा 15 बिस्वा भूमि है। उन्होने आगे कथन किया है कि खसरा नम्बर 1966/47 रकबा 15 बिस्वा भूमि घीसानाथ पुत्र धोकलनाथ जाति जोगी निवासी पड़ाड़िया के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसकी मृत्यु हो गई है तथा उसके वारिसान, मांगीलाल, बोदूराम, नारायणी देवी के नाम उक्त भूमि दर्ज रिकार्ड है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 1967/47 रकबा 15 बिस्वा भूमि भूरानाथ पुत्र छोटूनाथ जोगी के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं इसी प्रकार अन्य भूमि खसरा नम्बर 1968/47 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त सभी खसरा नम्बर का मूल खसरा नम्बर 47 था।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय से यह भी निवेदन किया कि हाल ही में खसरा नम्बर 47 के सम्पूर्ण नम्बरों की तरमीम नही करके, पक्षपातपूर्ण तरमीम सरपंच ग्राम पंचायत पहाडिया द्वारा निजि स्वार्थवश, बाले–बाले केवल मात्र दो नम्बरों खसरा नम्बर 1965/47 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1968/47 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा की तरमीम करवाई गई जो निजि स्वार्थवंश तथा दुर्भावनापर्वूक एवं मौके तथा वास्तविक कब्जे काश्त के विरूद्ध है क्योंकि जिन दो नम्बरों की अधूरी तरमीम बाले–बाले करवाई गई है वहॉ वास्तव मे आबादी बसी हई नही है बल्कि उक्त अवैध तरमीम वाली भूमि पर सरपंच ग्राम पंचायत पहाड़िया, दुकाने काटकर अवैध मुनाफा बाले–बाले कमाना चाहता है। उन्होने आगे कथन किया है खिसरा नम्बर 47 की पूर्ण तरमीम नही करके सरंपच के कहे अनुसार अधूरे एवं दो खसरा नम्बर की ही तरमीम मौके कि वास्तविक स्थिति के विपरित करना अवैध एवं पक्षपातपूर्ण है, ऐसी आक्षेपित तरमीम दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से यह भी निवेदन किया कि जहॉ खसरा नम्बर 1965/47 गैर मु0 आबादी की तरमीम की गई है उसके लगवा ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पट्टेशुदा भूमि स्थित है परन्तु नवीन तरमीम के अवलोकन से जाहिर होता है कि पट्टेशुदा भूमि आबादी भूमि में ही स्थित नही है जिससे बखूबी प्रमाणित होता है कि वर्तमान तरमीम मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित है तथा रिकार्ड के भी विपरित है, उन्होने आगे कथन किया है कि जिस स्थान पर खसरा नम्बर 1965/47 गैर मु. आबादी की नवीन तरमीम की गई है वहॉ नाथ समाज के श्मशान बने हुऐ है जिसका उपयोग श्मशान के रूप में नाथ समाज के सैकेडों वर्षो से उपयोग करता आ रह है जिसकी पुष्टि इस तथ्य से ही होती है कि उक्त स्थान पर नाथ समाज के लोगें के चबूतरे एवं समाधिया बनी हुई तथा नाथ समाज के लोगों का दफन की गई भूमि है जिसके बावजूद भी वास्तविक आबदीयुक्त भूमि को छोड़कर श्मशान की भूमि को आबादी भूमि के रूप में तरमीम करवाना कतई गलत एवं अवैध है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किय गया निर्णय दिनांक 15.02.2018 में कोई विधिक त्रुटि नही है क्योंकि खसरा नम्बर 47 के मौके की जांच करते हुए तथा आंवटनों की मौका जांच करते हुऐ विधि सम्मत तरमीम के आदेश पारित किये गये है जिसमे किसी भी प्रकार की अवैधता नही है, यदि किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति है तो वह तहसीलदार फागी के समक्ष अपनी आपत्ति पेश कर सकता है जिसका निस्तारण तहसीलदार फागी द्वारा किया जा सकता है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार फागी द्वारा पत्रांक भू.अ./2017/2519–20 दिनांक 15.06.2017 का अवलोकन करने से भी प्रकट होता है कि तहसीलदार फागी द्वारा स्पष्ट निर्देश पटवारी हल्का पहाडिया एवं भू.अ. निरीक्षक को प्रदान कियो गये थे कि "पूर्व में कोई प्रस्तावित तरमीम नही हो तो मौके अनुसार तथा ग्राम पचांयत के प्रस्ताव

अनुसार तरमीम कर इस कार्यालय को पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करें' जबकि ग्राम पहाडिया के खसरा नम्बर 47 बाबत पूर्व से अर्थात 1992 से ही प्रस्तावित तरमीम थी, उक्त तथ्य को सरपंच पहाड़िया तथा पटवारी हल्का द्वारा दुराशय पूर्वक छिपाते हुऐ नवीन अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दी गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायायल ने निरस्त करके कोई गलत नही किया है इस कारण अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर द्वारा प्रस्तावित तरमीम के अनुसार एवं मौकक की जांच करके विधि सम्मत तरमीम करने सम्बन्धी होने से उसमें कोई विधिक त्रुटि नही होने से सम्पुष्ट किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें तथ अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को सुम्पुष्ट फरफाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आम जनता पहाडिया जरिये रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत किया गया है जबकि रेस्पाडेन्ट्स सामान्यतः एक ही परिवार के सदस्य है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से एक ही परिवार विशेष के सदस्यों को लाभ होना संभावित प्रतीत होता है जो कानूनन उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तरमीम सम्बन्धी जो प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा जो जिला कलक्टर जयपुर को भिजवाये गये है उसके अनुसार प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनाक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।